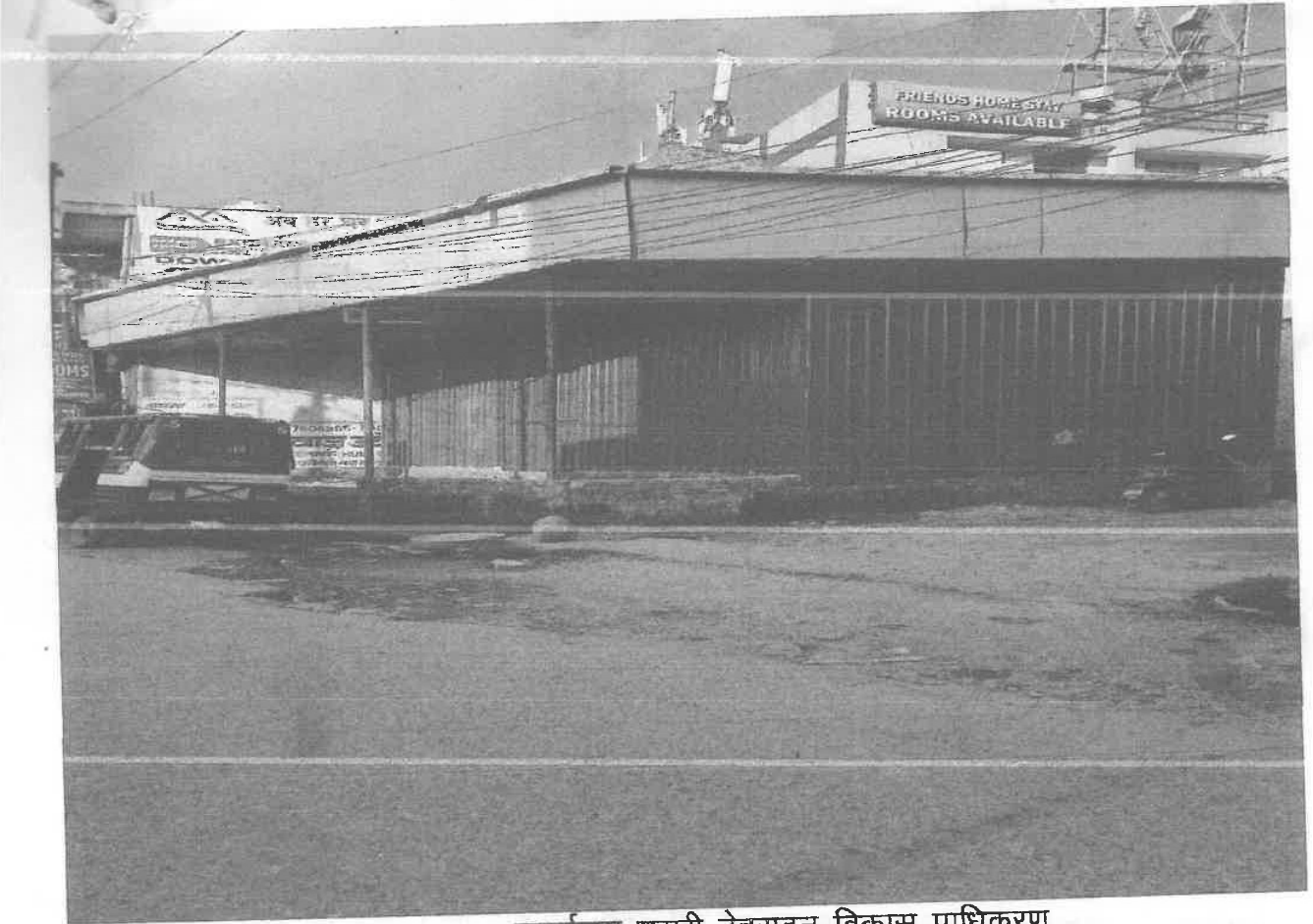




कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
ट्रान्सपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, देहरादून।

अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील हेतु आदेश)

पत्रांक : 1877 वाद संख्या सी-686/ सैक्टर-1/2024

दिनांक: 6-8-2025

श्री महबूब,
मुस्कान होटल के पीछे, माजरा,
देहरादून।

कृपया उक्त स्थल पर आपके द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के लगभग 30 गुणा 30 फिट के क्षेत्रफल में व्यवसायिक निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-686/एस-1/2024 योजित किया गया। प्रश्नगत वाद में आपके द्वारा टिन सैड हटाये जाने का पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच में पाया गया कि आपके द्वारा टिन सैड को हटाया नहीं गया है। इस क्रम में दिनांक 21.04.2025 एवं 19.05.2025 एवं 14.07.2025 एवं 28.07.2025 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी। परन्तु नियत तिथि में आप उपस्थित नहीं हुए। और न ही टिन सैड हटाये जाने सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत किये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबूझ कर वाद को लम्बित रखना चाहते हैं। जो न्यायहित में नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकनोपरान्त अवैध निर्माण/विकास कार्य पर अंकुश लगाने हेतु चालानशुदा निर्माण के सील करने के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है।

-2/-

१८७७

आदेश

विपक्षी श्री महबूब द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति के उक्त स्थल पर लगभग 30 गुणा 30 फिट के क्षेत्रफल में व्यवसायिक निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जारी कर वाद संख्या सी-686/एस-1/2024 योजित किया गया। प्रश्नगत वाद में विपक्षी द्वारा टिन सैड हटाये जाने का पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी जांच करायी गयी। जांच में पाया गया कि विपक्षी द्वारा टिन सैड को हटाया नहीं गया है। इस क्रम में दिनांक 21.04.2025 एवं 19.05.2025 एवं 14.07.2025 एवं 28.07.2025 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी। परन्तु नियत तिथि में विपक्षी उपस्थित नहीं हुए। और न ही टिन सैड हटाये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया। प्रश्नगत वाद विगत समय लम्बित है। ऐसी स्थिति में चालान शुदा निर्माण पर अकुश लगाया जाना आवश्यक हो गया है। तदनुसार चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार सुसंगत धारा 28 (क) के अधीन सील के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण परिसर को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11-8-25.....को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति में सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करें और न होने दें। क्योंकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि- 1-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि निर्माण ~~का~~ सील करने की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2-नायब तहसीलदार, देहरादून को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र संख्या 1205/विविध-जेए/2024 दिनांक 07.01.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को सीलिंग कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3-सम्बन्धित थानाध्यक्ष, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4-सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को सील करने की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

5-नाजिर को इस निर्देश के साथ कि उक्त दिनांक को सील से सम्बन्धित समस्त सामग्री को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।